



विषय:— बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क तथा उस कार्य से संबंधित व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय की दर में वृद्धि।

— राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क तथा उस कार्य से संबंधित व्यक्तियों के पारिश्रमिक/मानदेय की दर में निम्नवत् वृद्धि करने का निर्णय लिया है :-

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि :-

	प्रारंभिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
1. सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रु० 300/- (तीन सौ)	रु० 375/- (तीन सौ पचहत्तर)
2. अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति (केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए)	रु० 75/- (पचहत्तर)	रु० 100/- (सौ)
3. राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों	रु० 300/- (तीन सौ)	रु० 375/- (तीन सौ पचहत्तर)

(ii) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा उस कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के पारिश्रमिक/मानदेय की दर में वृद्धि :-

क्र० सं०	विषय/मद का ब्यौरा	दर
1.	वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों के लिए (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)	रु० 25/- प्रति प्रश्न अंग्रेजी में (मूल प्रारूप के लिए) + रु० 10/- प्रति हिन्दी अनुवाद के लिए रु० 25/- प्रति प्रश्न मात्र हिन्दी में या अंग्रेजी में (मूल प्रारूप के लिए) रु० 10/- प्रति आदर्श मॉडल उत्तर पत्र उसके स्रोत के साथ। कुल रु० 45/- प्रति प्रश्न (अंग्रेजी तथा हिन्दी में स्रोत के साथ आदर्श उत्तर पत्र के लिए) कुल रु० 35/- प्रति प्रश्न (मात्र हिन्दी में या मात्र अंग्रेजी में आदर्श उत्तर के साथ) के लिए
2.	मर्यादक (मॉडरेटर) वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों के लिए	कुल रु० 25/- प्रति प्रश्न (अंग्रेजी तथा हिन्दी में एवं आदर्श उत्तर के साथ) के लिए
3.	विषयनिष्ठ प्रश्न पत्रों के चयन हेतु (i) सभी विषयों के लिए (तीन घंटे की परीक्षा होने पर) (ii) सभी विषयों के लिए (दो घंटे की परीक्षा होने पर)	रु. 2500/- प्रति प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए (हिन्दी + अंग्रेजी में) अथवा मात्र हिन्दी में या अंग्रेजी में आदर्श उत्तर के लिए रु० 120 /- प्रति प्रश्न रु. 2500/- प्रति प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए (हिन्दी + अंग्रेजी में) अथवा मात्र हिन्दी में या अंग्रेजी में आदर्श उत्तर के लिए रु० 120/- प्रति प्रश्न

444
23/8/17

इसके लिए
20/8/17

	(iii) मर्यादन (मॉडरेशन हेतु)	150 रू0/- प्रति प्रश्न
4.	(a) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु (विषयनिष्ठ विषयों के) परीक्षक	25/-रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका (समय का प्रतिबंध नहीं रहेगा)
	(b) मुख्य परीक्षक	(i) प्रति सह-परीक्षक 200/- रू0
		(ii) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की पुर्नजाँच के लिए 10/-रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका
		(iii) सह-परीक्षकों की पारिश्रमिक की औसत राशि।
	(c) सामान्य अध्ययन/सामान्य विज्ञान	
	(i) परीक्षक के लिए	36/-रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका (तीन परीक्षकों के बीच बारह-बारह रू0 की दर से खण्ड में रहने पर) यदि एक ही परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाता है तो 25/-रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से भुगतान किया जायेगा।
	(ii) मुख्य परीक्षक के लिए	कॉलम- 4 (b) के अनुसार
	(d) परीक्षकों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक	800/- (आठ सौ रूपया)
5.	परिनिरीक्षक (स्क्रुटनाइजर) बाहर के (आयोग कार्यालय से भिन्न)	5/-रू0 प्रति उत्तर पुस्तिका
6.	विशेषज्ञ	
	(a) साक्षात्कार हेतु	मानदेय रू0 1500/- प्रति बैठक। आवागमन भत्ता रू0 250/-प्रतिदिन
	(b) मॉडल उत्तर (key) तैयार करने हेतु	मानदेय रू0 1500/- प्रतिदिन आवागमन भत्ता रू0 250/-प्रतिदिन <hr/> कुल रू0 1750/- प्रतिदिन
	(c) पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु	मानदेय रू0 1500/- प्रतिदिन आवागमन भत्ता रू0 250/-प्रतिदिन <hr/> कुल रू0 1750/- प्रतिदिन
	(d) विशेषज्ञ सलाहकार	मानदेय रू0 1500/- प्रतिदिन आवागमन भत्ता रू0 250/-प्रतिदिन <hr/> कुल रू0 1750/- प्रतिदिन
7.	स्थानीय आवागमन भत्ता (स्थानीय विशेषज्ञ मुख्य परीक्षक, परीक्षक आदि के लिए)	रू0 250/- प्रतिदिन

परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा उपकेन्द्रों पर विभिन्न मदों में मानदेय/भाड़ा

क्रम संख्या	विषय/मद	दर	
		परीक्षा पूर्व की गयी मद हेतु मानदेय/भाड़ा	परीक्षा दिवस हेतु मानदेय/भाड़ा।
01	02	03	04
1.	केन्द्राधीक्षक	250.00 रु०	400.00 रु० प्रति पाली
2.	सहायक केन्द्राधीक्षक	250.00 रु०	350.00 रु० प्रति पाली
3.	वीक्षक	100.00 रु०	250.00 रु० प्रति पाली
4.	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	-	100.00 रु० प्रति पाली
5.	स्टैटिक मजिस्ट्रेट/ आब्जर्वर	-	350.00 रु० प्रति पाली
6.	पुलिस पदाधिकारी	-	200.00 रु० प्रति पाली
7.	पुलिस	-	100.00 रु० प्रति पाली
8.	कार्यालय लिपिक	200.00 रु०	200.00 रु० प्रति पाली
9.	विविध व्यय	-	3.00, रु० (तीन रुपये) प्रति परीक्षार्थी प्रतिदिन
10.	अल्पाहार/चाय	-	1000.00 रु० एकमुश्त
11.	जेनरेटर भाड़ा	700.00 रु०	नियमानुसार वास्तविक व्यय
12.	प्रश्न पत्रों के सीलबन्द पैकेटों की वीडियोग्राफी/ डिजिटल फोटोग्राफी	-	500.00 रु० प्रतिदिन न्यूनतम

परीक्षा संचालन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मदों में मानदेय/भाड़ा

क्र० सं०	विषय/मद	दर	
01	02	03	
1.	प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस उप-महानिरीक्षक	2000.00 रु० (एकमुश्त)	
2.	जिला पदाधिकारी-सह- परीक्षा संयोजक	1500.00 रु० (एकमुश्त)	
3.	पुलिस अधीक्षक	1300.00 रु० (एकमुश्त)	
4.	सहायक जिला संयोजक	1200.00 रु० (एकमुश्त)	
5.	जिला नियंत्रण कक्ष प्रभारी (पटना जिला हेतु)	1000.00 रु० (एकमुश्त)	
6.	जोनल मजिस्ट्रेट	350.00 रु० प्रति पाली	
7.	पुलिस पदाधिकारी	200.00 रु० प्रति पाली	
8.	पुलिस (जोनल मजिस्ट्रेट के साथ)	100.00 रु० प्रति आरक्षी प्रति पाली	
9.	परीक्षा संयोजक का लिपिक	400.00 रु० (एकमुश्त)	
10.	परीक्षा संयोजक हेतु एक आदेशपाल	100.00 रु० प्रतिदिन	
11.	कोषागार/वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारी	400.00 रु० प्रतिदिन	
12.	कोषागार/वज्रगृह से संलग्न लिपिक	250.00 रु० प्रतिदिन	
13.	कोषागार/वज्रगृह से संलग्न एक आदेशपाल	100.00 रु० प्रतिदिन	
14.	जोनल मजिस्ट्रेट के साथ संलग्न पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन हेतु उपलब्ध करायी गयी भाड़े की गाड़ी मद में व्यय राशि	एक पाली 1200.00 रु० (120.00 रु० x 10 घंटे) (प्रति भाड़े की गाड़ी)	दो पाली 1680.00 रु० (120.00 रु० x 14 घंटे) (प्रति भाड़े की गाड़ी)

		(ईंधन चालक सहित)	(ईंधन चालक सहित)
15.	प्रश्न पत्रों के सीलबन्द पैकेटों की वीडियोग्राफी/डिजिटल फोटोग्राफी	500.00	रू० प्रतिदिन न्यूनतम

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकुरे)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- ज्ञापांक:-21बी०पी०एस०सी०-०६/२०१३ सा०प्र०...../पटना-१५, दिनांक.....
प्रतिलिपि, अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलंजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी ५०० मुद्रित प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21बी०पी०एस०सी०-०६/२०१३ सा०प्र०...../पटना-१५, दिनांक.....
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6-8-13
सरकार के संयुक्त सचिव।